मृत्युदंड का उन्मूलन और संसदीय समिति की रिपोर्ट

यह निराशाजनक है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस, जो आईपीसी की जगह लेने के लिए प्रस्तावित आपराधिक कानून है) का परीक्षण करने वाली संसदीय समिति ने सजा-ए-मौत के खात्मे की सिफारिश नहीं की है। इसके बजाय, गृह मामलों की स्थायी समिति ने, खात्मे पर विशेषज्ञों और न्यायविदों की ओर से अपनी राय दिये जाने के बावजूद, यह नीरस किस्म की सिफारिश करने का फैसला किया 'कि मामले को सरकार के विचारार्थ छोड़ा जा सकता है'। उसकी राय इस टिप्पणी तक सीमित है कि समिति को 'समझ में आया है कि सजा-ए-मौत के खिलाफ जज्बाती दलील की वजह यह है कि न्याय प्रणाली से चूक हो सकती है और एक बेगुनाह व्यक्ति को गलत ढंग से मौत की सजा दिये जाने से बचाया जाना चाहिए।' हालांकि, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने पैनल के समक्ष कुछ ऐसी बातें रखी थीं जो कायल करने वाली थीं : निचली अदालतों द्वारा मौत की सजा सुनाये जाने के मामले बढ़ रहे हैं, जबकि सांख्यिकीय रुझान दिखाते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड देने से दूरी बरत रहा है; इसके अलावा, समाज विज्ञानियों ने दिखाया है कि इसका कोई भयावरोधक प्रभाव नहीं है और वैश्विक राय इसके खात्मे के पक्ष में है। शीर्ष अदालत ने 2007 से लेकर 2022 तक केवल सात लोगों सजा-ए-मौत सुनायी, जबकि मौत की सभी सजाओं को 2023 में या तो पलट दिया गया या फिर उन्हें उम्रकैद में बदल दिया गया, क्योंकि उन्हें 'विरल में विरलतम मामले' नहीं माना गया।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट में अपनी असहमतिपूर्ण टिप्पणी दर्ज की उन्होंने इस दलील का विशेष उल्लेख किया कि मृत्युदंड के भयावरोध नहीं होने की बात दिखायी जा चुकी है; इसके अलावा, सजायाफ्ता व्यक्ति की बाकी बची पूरी जिंदगी के लिए जेल ज्यादा कड़ी सजा होगी और यह सुधार का मौका भी प्रदान करेगी; और यह कि मौत की सजा पाने वाले ज्यादातर लोग कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि आपराधिक कानून के नये ढांचे का प्रस्ताव करने वाले तीनों विधेयक वस्तुतः ठीक वैसे ही हैं जैसे कि मौजूदा आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम हैं। अगर संसद, संसदीय समिति द्वारा सुझाये गये बदलावों के साथ, मसौदा विधेयकों को कानून में बदलने के लिए आगे बढ़ती है, तो यह सर्वथा उचित होगा कि इस मौके

भारत में मृत्युदंड रिपोर्ट

- वर्ष 2022 के लिए ***'भारत में मृत्युदंड : वार्षिक सांख्यिकी'*** रिपोर्ट के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने 2022 में 165 लोगों को मौत की सजा सुनाई।
- भारत में मृत्युदंड रिपोर्ट प्रोजेक्ट 39ए द्वारा प्रकाशित की जाती है।
- प्रोजेक्ट 39ए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में एक आपराधिक कानून सुधार वकालत समूह है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39ए से प्रेरित है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 39ए समाज के गरीबों और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
- यह अनुच्छेद 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया था।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत की कतार में सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश (100), गुजरात (61), झारखंड (46), महाराष्ट्र (39) और मध्य प्रदेश (31) राज्यों में थे।

भारत में मृत्युदंड कैसे दिया जाता है?

- फाँसी द्वारा फाँसी दी जाती है, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354(5) के तहत दी गई फाँसी की प्राथमिक विधि "मृत्यु तक गर्दन से फाँसी" है, और यह केवल 'दुर्लभतम मामलों' में ही दी जाती है।

का इस्तेमाल मौत की सजा बरक. रार रखने की जरूरत पर पुनर्विचार के लिए किया जाए। बीएनएस में 'उम्रकैद' शब्द को किसी व्यक्ति की बाकी बची पूरी जिंदगी के लिए जेल के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसे सजा-ए-मौत का स्वाभाविक विकल्प होना चाहिए। अगर उम्रकैदियों की, राजनीतिक आधार पर, समय-से-पहले रिहाई का चलन रोका जाता है और बिना माफी के ताउम्र सजा ज्यादा आम हो जाती है, तो सजा-ए-मौत खत्म करने के मामले को मजबूती मिलेगी। सजा माफी एक मानवीय कृत्य होना चाहिए और इसे राजनीतिक विवाद का कारण कतई नहीं होना चाहिए। कानून की किताब से मृत्युदंड को हटाना और एक तार्किक व सार्वभौमिक सजा माफी नीति लाना, न्याय प्रणाली में एक बड़ा सुधार होगा।

मृत्युदंड पर महत्वपूर्ण निर्णय

- **एडिगा अनम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1974):** सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत दिया कि हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास नियम है और कुछ मामलों में मृत्युदंड अपवाद है।कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अदालत मौत की सजा देने का फैसला करती है तो एक विशेष कारण बताया जाना चाहिए।
- **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दुर्लभतम और क्रूर मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : भारत में मृत्युदंड रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. लंबित मृत्यु दण्ड के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ऊपर है।
2. भारत में 2022 के अंत तक 539 कैदी मौत की सजा प्राप्त हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न ही 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements in the context of Death Penalty in India Report, 2022:

1. The state of Uttar Pradesh is at the top in the entire country in terms of pending death sentences.
2. There are 539 death row prisoners in India by the end of 2022.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) only 1
(b) only 2
(c) both 1 & 2
(d) neither 1 nor 2

उत्तर : C

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: भारत में मृत्यु दण्ड की सजा को कायम रखने के पीछे क्या तर्क दिया जाता रहा है? इसके पक्ष-विपक्ष की चर्चा करें।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में भारत में मृत्यु दण्ड की सजा को कायम रखने के पीछे दिए जाने वाले तर्क की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में मृत्यु दण्ड के पक्ष-विपक्ष की चर्चा करें।
- अंत में आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।